...संख्या 23/2020 सरकार V/s रमेश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 12/8/24 | पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई है। फरीकान उपस्थित। दौराने बहस पैरोकार सरकार का कथन रहा कि आवंटित भूमि किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा पर आवंटी रमेश का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त किया जावें, जबकि वकील अप्रार्थी का तर्क रहा कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम माटून्दा द्वारा दिनांक 04/06/1999 को सूची सं. 69 पर सशुल्क कुल 8 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था तथा मौके पर आवंटी को कब्जा संभला दिया था। अप्रार्थी द्वारा शेष राशि जमा करवा दिये जाने तथा आवंटित भूमि पर निरंतर काबिज काश्त होने से गैरखातेदार अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत यह कार्यवाही पेश की गई, जो कि असिंचित भूमि के निःशुल्क आवंटन पर लागू होते है, जबकि अप्रार्थी को राजस्थान लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना नियम 1968 के अन्तर्गत सशुल्क आवंटन किया गया है। इसलिए यह कार्यवाही नियमानुकूल नहीं होने से चलने योग्य नहीं है तथा स्वतः ही निरस्तनीय है। वैसे भी अप्रार्थी खातेदार कृषक है जिसे राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी | |

प्रार्थनापत्र संख्या 23/2020 बजरिए सरकार V/s रमेश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अन्य तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसलिए भूमि आवंटन नियम 15(5) LR के तहत यह कार्यवाही खातेदार के विरुद्ध पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावें।<br><br>न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2075-2078 के अवलोकन से ग्राम माटून्दा की कृषि भूमि खसरा सं. 3208/832, 3464/1996 एवं 3467/1998 कुल रकबा 1.2689 हैक्टेयर रमेश पुत्र मंगला रेगर खातेदार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट है। खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 15(5) के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता है, जैसाकि RRD 1987 पृष्ठ सं. 359 एवं 371 में उद्धरित है। ऐसे में खातेदार के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के आंवटन नियम, 1970 के नियम 15(5) के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। परन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र पत्र क्रमांक TRA/2019/1613 दिनांक 12.12.19 के संलग्न आंवटन निरस्ती हेतु प्रेषित किया है। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2075-2078 में विवादित आराजी पर रमेश पुत्र मंगला जाति रेगर गैरखातेदार दर्ज रेकार्ड था। किन्तु अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब प्रार्थनापत्र | |

प्रार्थनापत्र सं. 23/2020 सरकार V/s रमेश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | दिनांक 28/12/2021 के संलग्न जमाबंदी संवत् 2075-2078 में जर्ये नामान्तकरण सं. 3925 दिनांक 27/12/2021 से रमेश पुत्र मंगला जाति रेगर को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना प्रकट है। इसप्रकार तहसीलदार बून्दी द्वारा पहले से ही इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती की कार्यवाही पेश की हुई थी, इसके बावजूद दौराने कार्यवाही अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधीनस्थ न्यायालय का कृत्य दोषपूर्ण प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में जाँच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, कार्यालय हाजा को निर्णय प्रति भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें। <br> आदेश आज दिनांक 12/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। <br> (हस्ताक्षर) <br> जिला कलेक्टर; बून्दी | |